प्रेस नोट

दिनांक 29.10.2024

थाना मौदहा पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.10.2024 को थाना मौदहा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/2024 धारा 103(1)/109/351(3)/3(5) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त लवकुश उर्फ अक्षय प्रताप सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह को मय आलाकत्ल एक अदद एसबीबीएल 12 बोर बन्दूक, 03 खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ बहद ग्राम बिहरका से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 28.04.2024 को शाम करीब 16:00 बजे ग्राम बिहरका में हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मौदहा पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि लवकुश पुत्र कुंवर बहादुर निवासी ग्राम बिहरका थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के द्वारा गांव के ही विक्रम सिंह पुत्र रामशरण सिंह (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम बिहरका को गोली मार दी गई। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। थाना मौदहा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

लवकुश उर्फ अक्षय प्रताप सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह (उम्र करीब 29 वर्ष) निवासी ग्राम बिहरका थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 539/16 धारा- 323/342/504/506भा0द0सं0 थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

2. मु0अ0सं0 374/20 धारा- 354/354(घ)/376/506 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट व 3(1)(w),3(2)(v)एसएटी एक्ट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

एक अदद एसबीबीएल 12 बोर बन्दूक, 03 खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0 नि0 रामआसरे सरोज

2. उ0नि0 दीपक कुमार

3.उ0नि0 अभिषेक त्रिवेदी

4. हे0का0लालसुवीर गोपाल सिंह